प्रेस नोट 03/09/2020

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री मनोज कुमार सोनकर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में–

संगठित अपराध/अपराधियों के विरूद्ध मऊ पुलिस–प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.09.20 को मुख्तार असारी अवैध वसूली गैंग के सहयोगी, मऊ में चिन्हित वसूली माफिया सुरेश सिंह पुत्र स्व0 लल्लन सिंह निवासी भीटी थाना कोतवाली मऊ का अपराध व अवैध रूप से अर्जित धन से बनायी गयी सम्पत्ति 01 करोड़ 05 लाख 40 हजार रूपये (कुल 09 विभिन्न प्रकार के वाहन) थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट जब्त की गयी।

<u>संम्पत्ति विवरण–</u>

1. बस नम्बर यूपी 54 टी 1566. (21 लाख)
2. हुंडई क्रेटा यूपी 54 एवी 5004. (17 लाख)
3. टाटा इंडिका यूपी 54 टी 5004. (09 लाख)
4. हीरो ग्लैमर यूपी 54 एन 3444. (90 हजार)।
5. हीरो ग्लैमर यूपी 54 क्यू 4144. (80 हजार)।
6. बस यूपी 54 डी 1399. (23 लाख)।
7. बस यूपी 61 एटी 0702. (23 लाख)।
8. स्प्लेंडर यूपी 54 जे 1703. (70 हजार)।
9. स्कार्पियो यूपी 54 जे 5004. (10 लाख)

इस तरह 01 करोड़ 05 लाख 40 हजार रुपए कीमती कुल 09 वाहनों को सीज किया गया है।

उल्लेखनीय है कि सुरेश सिंह पुत्र स्व0 लल्लन सिंह वसूली गैंग डी–32 का सदस्य है तथा जनपद में वसूली माफिया के रूप में चिन्हित है। जिसके विरूद्ध थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा दिनांक 31.05.20 को मु0अ0सं0 520ध्20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी थी तथा वर्तमान में जेल में निरूद्ध है।

<u>एक अदद अवैध तमंचा के साथ एक शातिर गिरफ्तार–</u>

थाना कोपागंज पुलिस द्वारा दिनांक 02.09.20 सायंकाल देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर पुराघाट पुलिया के पास से समशाद अहमद पुत्र अनवर अहमद निवासी बांसा थाना कोपागंज जनपद मऊ के कब्जे से एक अदद तमंचा 12 बोर व 03 जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 564/20 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार–</u>

थाना कोपागंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 03.09.20 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 564/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तगण कादिर अहमद अंसारी व मो0 सलीम अंसारी पुत्रगण इकलाख निवासीगण कसाईटोला करीमुद्दीनपुर थाना घोसी व मिजान असरत पुत्र अहमद रजा निवासी बड़ागांव कसाईटोला करीमुद्दीनपुर थाना घोसी मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

एक दुराचारी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 660/20 धारा 376क,ख, 342 भादवि व 5/6 पोस्को एक्ट में वांछित अभियुक्त अमन चौहान पुत्र किशोर निवासी सुरहुरपुर थाना मुहम्मदाबाद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

50 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार–

थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा आज दिनांक 03.09.20 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर महुआबारी तिराहे के पास से धीरज तिवारी पुत्र अजीत निवासी चकउथ थाना मधुबन के कब्जे से 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

शांति भंग की आशंका में 11 व्यक्ति गिरफ्तार–

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 03.09.20 को देखभाल क्षेत्र के दौरान, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा चन्द्रभान चौहान निवासी सरवनपुर, चिंतामणि निवासी आदमपुर थाना कोपागंज, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा कल्पनाथ शर्मा, सुभाष निवासीगण सेमराजपुर, रामनरायण, शिवनरायण व देव नरायण निवासीगण गुलौरी थाना हलधरपुर, थाना मधुबन पुलिस द्वारा आकाश मल्ल, विकास मल्ल निवासीगण पाती व अजीत निवासी दरोगा माधवपुर थाना मधुबन व थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा संतोष कुमार निवासी तेंदुली थाना सरायलखंसी मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।